FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

रामावतार बनाम लक्ष्मण

किस्म मुकदमा अपील नम्बर ......39....../2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.6.2018	वकील अपीलार्थी श्री प्रदीप कुमार विजय उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सिकराय के निर्णय दिनांक 4.6.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं । अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 4.6.2018 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो निर्णय के प्रभावी भाग ओपरेटिव पोरशन पढने से प्रतीत होता है। इस न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पारित निर्णय व डिक्री की अपील सुनने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार उपरोक्त अपील अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेत वापस लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	मूल पत्रावली की प्राप्त की ... 31/7/18